हों,नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति चयन में अवधारित ज्येष्ठता के कम में किया जायेगा या जैसी उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है । यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो द्वारा की जाती है तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा ।

परिवीक्षा

19.(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा और प्रशिक्षण के लिए संस्थान में सम्मिलित होने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

(2)यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय पर या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हो,या प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा नहीं किया है और नियम--17 में यथाविहित अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है,और यदि किसी पद पर कोई धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवाऐं समाप्त की जा सकती है ।

(3)ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवा समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4)नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

प्रशिक्षण

20. (1) परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे दिनांक को संस्थान में अपना योगदान देगा, जैसा कि परिषद द्वारा नियत किया जाय और तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(2) उप नियम(1) के अधीन यथा विहित राजस्व निरीक्षक हेतु तीन माह का प्रशिक्षण ऐसे सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य होगा जो इस नियमावली के प्रारम्भ से पहले सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/ रजिस्ट्रार कानूनगो एवं भूलेख लिपिक के पद धारण कर रहे थे ।ऐसे राजस्व निरीक्षकों के नामों को उक्त प्रशिक्षण के पूर्ण होने के पश्चात् पदक्रम सूची में रखा जायेगा ।

(3) उक्त प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ऐसी होगी, जैसी परिषद द्वारा समय--समय पर अवधारित की जाय।

अर्हकारी परीक्षा

21.(1) प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसकी व्यवस्था परिषद द्वारा की जायेगी।